न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 303/2024

प्रार्थीगण :-

1. सुशीला पत्नी स्व. मुकेशराम
2. प्रतीक पुत्र स्व. मुकेशराम
3. रीतिक पुत्र स्व. मुकेशराम प्रार्थी सं. 2 व 3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुशीला पत्नी स्व. मुकेशराम
4. पतासी पत्नी स्व. ढगलाराम सभी जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण शिव मन्दिर के पास ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. अशोक पुत्र स्व. हरजीराम
2. चैनाराम पुत्र स्व. मदनाराम
3. फूलीदेवी पत्नी स्व. नत्थूराम पुत्रवधु स्व. मदनाराम
4. चिमनाराम पुत्र स्व. मदनाराम
5. माडीदेवी पत्नी स्व. मदनाराम
6. पुष्पादेवी पुत्री स्व. जयराम
7. भंवरीदेवी पत्नी स्व. जयराम
8. श्यामलाल पुत्र स्व. जयराम
9. हडमानराम पुत्र स्व. जयराम
10. नत्थूराम पुत्र स्व. सग्रांमराम
11. लक्ष्मणराम पुत्र स्व. मूलाराम सभी जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
12. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री मदन लाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 1 से 11 - के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 12 सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांकः- 08/09/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि राजस्व ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में आई हुई है जिसके खसरा संख्या 1139/979 रकबा 0.5226 हैक्टेयर किस्म बारानी ए है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 1139/797 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि आई हुई है जिसके खसरा संख्या 1140/979 रकबा 2.0905 हैक्टेयर किस्म बारानी ए है जो भी राजस्व ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा की राजस्व

सीमा में स्थित है। खसरा संख्या 1140/979 के रेकर्डेड खातेदार मदनाराम पुत्र श्री चौथाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनका फौतेदगी म्यूटेशन उनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 2 से 5 द्वारा दर्ज नही करवाने के कारण चालु जमाबन्दी में अभी तक खातेदार मदनाराम का ही नाम दर्ज है। मदनाराम फौत होने से तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 5 स्व. मदनाराम के वारिस होने से उन्हे स्व. मदनाराम के स्थान पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 1139/979 व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 1140/979 का मूल खसरा संख्या 979 रकबा 2.6131 हैक्टेयर था तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 के मध्य खसरा संख्या 979 रकबा 2.6131 हैक्टेयर का विधिवत बंटवाड़ा नही हो रखा था व न ही नक्शे में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि की अलग तरमीम हो रखी थी. इसलिए प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 979 रकबा 2.6131 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा हेतु राजस्व वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसके दर्ज नम्बर 28/2023 है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2024 को निर्णय पारित कर अन्तिम डिक्री जारी की तथा निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 03.07.2024 की पालना में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बंटसुदा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग-अलग खातों में दर्ज की गयी तथा राजस्व नक्शे में भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बंटसुदा भूमि की तरमीम की गयी तथा तरमीम अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बंटसुवा भूमि की मौके पर सीमाए आपसी सहमति से कायम की। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 द्वारा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 1139/979 रकबा 0.5226 हैक्टेयर की दक्षिणी सीमा की माठ को मौके पर दिनांक 15.11.2024 को जबरन खुर्द बुर्द कर अस्थिर कर दी, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 11 नहीं माने। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 द्वारा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1139/979 की दक्षिणी सीमा की माठ को मौके पर दिनांक 15.11.2024 को जबरन खुर्द बुर्द कर अस्थिर करने पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1139/979 की दक्षिणी सीमा की माठ को स्थिर करने हेतु खसरा संख्या 1139/979 के सीमांकन हेतु अप्रार्थी संख्या 12 तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष आवेदन किया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा हल्का पटवारी ग्राम खेजड़ला को खसरा संख्या 1139/979 के सीमांकन हेतु आदेश क्रमांक/भू.अ./सीमांकन/2024/2078-2079 द्वारा आदेशित किया व उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 30.11.2024 को खसरा संख्या 1139/979 का मौके पर आकर सीमांकन किया तथा सीमांकन बाबत् फर्द मौका मुर्तीब की तथा उक्त सीमांकन हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण व मौत रामनिवास की मौजूदगी में किया तथा सीमांकन की सूचना अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 को भी हल्का पटवारी द्वारा दी गयी परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 बावजूद सूचना सीमांकन के समय उपस्थित नहीं हुए। हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन बाबत् मुर्तीब की गयी फर्द मौका रिपोर्ट पर प्रार्थीगण व मौतबीर के हस्ताक्षर भी करवाये।

हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1139/979 के सम्बंध में किये गये सीमांकन के अनुसार प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1139/979 की दक्षिणी माठ की सीमा को स्थिर करने व उस पर तारबन्दी/पत्थरगढी करने हेतु दिनांक 02.12.2024 को मौके पर गये तो मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 से 11 भी आ गये तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 11 ने प्रार्थीगण को उनकी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1139/979 की दक्षिणी माठ की सीमा को हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमांकन के अनुसार न तो स्थिर करने दिया व न ही तारबन्दी/पत्थरगढी करने दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 11 द्वारा प्रार्थीगण को उनकी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1139/979 की दक्षिणी माठ की सीमा को हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमांकन के अनुसार स्थिर करने व तारबन्दी/पत्थरगढी करने पर जान से मारने की धमकिया भी दी। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 से 11 की धमकी से भयभीत हो गये तथा अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1139/979 की दक्षिणी माठ की सीमा को हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमांकन के अनुसार न तो स्थिर की व न ही उस पर तारबन्दी/पत्थरगढी की। जबकि कानूनन प्रार्थीगण को अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1139/979 की दक्षिणी माठ की सीमा को हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमांकन के अनुसार स्थिर करने व उस पर तारबन्दी/पत्थरगढी करने का अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 द्वारा गैर कानूनी तरीके से प्रार्थीगण को उनकी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1139/979 की दक्षिणी माठ की सीमा को हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमांकन के अनुसार स्थिर करने नहीं देने व उस पर तारबन्दी/पत्थरगढी नही करने देने के कारण प्रार्थीगण को मजबूरन माननीय न्यायालय के समक्ष खसरा संख्या 1139/979 की दक्षिणी माठ की सीमा जिसे अप्रार्थी संख्या 1 से 11 द्वारा दिनांक 15.11.2024 को अस्थिर कर खुर्द बुर्द कर दिया, को पुनः हल्का पटवारी द्वारा किये गये सीमांकन के अनुसार स्थिर करने व उस पर प्रार्थीगण के खर्चे से तारबन्दी/पत्थरगढी करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1139/979 राजस्व ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित होने से तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

अन्त में निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 12 को आदेश दिया जावे कि वो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1139/979 रकबा 0.5226 हैक्टेयर किस्म बारानी ए का मौके पर उक्त खसरे के राजस्व नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमांकन कर प्रार्थीगण के खर्चे से उक्त खसरे की दक्षिणी दिशा की सीमा को स्थिर (निर्धारित) कर पत्थरगढी करावे। इस हेतु अप्रार्थी संख्या 12 को आदेश मय तहरीर जारी की जावे। खसरा संख्या 1139/979 के सीमाकन एवं पत्थरगढी के दौरान मौके पर अशांति पैदा होने पर अप्रार्थी संख्या 12 पुलिस इमदाद के जरिये उक्त आदेश की पालना करावे ।

के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 11 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 12 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेजडला की वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा सं. 1139/979 प्रार्थी तथा खसरा सं. 1140/979 अप्रार्थी के नाम से दर्ज है ग्राम खेजडला के खसरा सं. 1139/979 रकबा 0.5226 का सीमाकंन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.11.2024 को प्रार्थी को करवा दिया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते है तो जवाब देहन्दा को कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी सं. 12 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1139/979 प्रार्थीगण की रेकर्डेड खातेदार की है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य खसरा नंबर 1139/979 के दक्षिणी माठ को लेकर विवाद है। इस कारण मौके पर पूर्व सीमाकंन रिपोर्ट दिनांक 30.11.2024 के अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नंबर 1139/979 रकबा 0.5226 हैक्टयर का दिनांक 30.11.2024 की सीमांकन मौका फर्द के अनुसार केवल खसरा नंबर 1139/979 की दक्षिणी माठ की तरफ अस्थिर माठ को स्थिर कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाडा सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी किये जाने के समय आवश्यकता अनुसार पुलिस ईमदाद की व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08/09/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा